

20/6/2021

पत्रावली आज वास्तु निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में बहस एकपक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि यादग्रस्त भूमि में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी की सहस्वातेदारी की भूमि है। अतः समस्त सहस्वातेदारान, पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।




(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सिरौही तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नंबर 966/1 रकबा 0.20 हेक्टे. की खातेदारान व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 01.09.2021 उक्त खसरा नम्बर की चतुर्दिक सीमाओं पर पत्थरगढ़ी की जावे। दौरान पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा वेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फंसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

